

交通 TAVA

Hindi 印度語

यातायात दुर्घटनाओं से पीड़ितों के लिए (टी.ए.वी.ए) के योजना सहयोग

सड़क यातायात दुर्घटनाओं से हुए पीड़ितों
अथवा, मृत्यु होने की परिस्थिति में,
उन पर आश्रित जीवित व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग देती है।

Traffic Accident Victims Assistance Scheme

Provides financial assistance to
road traffic accident victims
or to their surviving dependants in cases of death

意外傷亡援助

September 2014

उद्देश्य

सड़क यातायात दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों (अथवा मृत्यु होने की परिस्थिति में, उन पर आश्रित जीवित व्यक्तियों) को तुरंत आर्थिक सहयोग देना इस योजना का उद्देश्य है। दुर्घटना के घटने में गलती के तत्व को उपेक्षित करते हुए, यह योजना परिवार की आर्थिक अवस्था के मूल्यांकन पर आधारित नहीं है।

भुगतान, व्यक्तिगत घावों के लिए की जाता है, इस योजना में संपत्ति की हानि अथवा क्षति समाविष्ट नहीं हैं।

पात्रता का मानदंड

प्रत्येक आवेदक को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे :

- दुर्घटना, हांगकांग के कानून, यातायात दुर्घटना पीड़ित (सहयोग कोश) अध्यादेश, शीर्षक 229 [Traffic Accident Victims (Assistance Fund) Ordinance, Cap. 229] द्वारा परिभाषित, यातायात दुर्घटना होनी चाहिए, और उस की रिपोर्ट पुलिस को दी जा चुकी होनी चाहिए।
- पीड़ित उस दुर्घटना के कारण मरा हो; अथवा जो घाव लगा उस के कारण कम से कम तीन दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो अथवा रुग्णतावकाश लेना पड़ा हो, जैसे किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/पंजीकृत चीनी चिकित्सा व्यवसायी ने प्रमाणित किया है।
- आवेदन दुर्घटना होने की तिथि के छ महीनों (नीचे दिया हुआ नोट देखें) में दिया जाना चाहिए।
- पीड़ित को हांगकांग में रहने का अधिकार है अथवा उसे हांगकांग के कानून, आप्रवास अध्यादेश, शीर्षक 115 (Immigration Ordinance, Cap 115) के अंतर्गत हांगकांग में रहने की अनुमति है, तथा दुर्घटना होने के समय हांगकांग में रहने की लागू समयवधि (यदि समयवधि हो तो) का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(नोट : छ महीनों की अवधि का हिसाब करने में दुर्घटना होने के दिन को नहीं गिना जाता है। यदि उस अवधि का अंतिम दिन शनिवार, सार्वजनिक अवकाश, अथवा ऐसा दिन हो, जिस दिन 8 नंबर या उस से बड़े तूफान या भयंकर वर्षा (Black Rainstorm) का चेतावनी-सिगनल दिया गया हो, तो उस अवधि में अगला कामकाज का सामान्य दिन समाविष्ट रहे गा।)

